(172)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1580–एक/2016 – विरूद्व आदेश दिनांक 21.4.2016 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव जिला छतरपुर – प्रकरण कमांक 43/2015–16 अपील

1– देशराज राजपूत पुत्र रामभरोसे राजपूत
2– मदन राजपूत पुत्र रामभरोसे राजपूत
ग्राम विलहरी तहसील नौगॉव जिला छतरपुर ———आवेदकगण

विरूद्व

मुस0 रजकू पुत्री स्व.नत्थी काछी
पत्नि हल्काई काछी निवासी विहहरी
तहसील नौगॉव जिला छतरपुर हाल निवासी
ग्राम पुरवा तहसील व जिला छतरपुर ———अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुनील जैन)

आ दे श

(आज दिनांक 21 – 12 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉव जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 43/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–4–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम विहलरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 284, 298, 587 कुल किता तीन कुल रकबा 0.689 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के भूमिस्वामी नत्थी पुत्र मंगली काछी थे, जिनकी मृत्यु उपरांत अनावेदक ने तहसीलदार नौगॉव को संहिता की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मॉग की कि मृतक खातेदार ने अपने जीवन काल में उसे नाम दिनांक 7–6–96 को बसीयत की थी इसलिये

बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार नौगॉव ने प्रकरण कमांक 183 अ–6/1996–97 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 22–1–1989 पारित करके अनावेदक का नामांतरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 43/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–4–2016 से अपील समयवाह्य होने से निरस्त कर दी गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–4–16 से अपील इस आधार पर निरस्त की है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–1–89 के विरूद्व अपील 13–3–15 को प्रस्तुत की है, जबकि अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में आवेदकगण ने बताया है कि वह पेश से मजदूर है एंव विहार प्रदेश में मजदूरी कर रहे थे जब वापिस आये , तब तहसीलदार के आदेश की जानकारी 2–3–15 को हलका पटवारी से हुई। उन्होंने वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व का मूल आधार यह बताया है कि इसी भूमि को मूल भूमिस्वामी ने विकय पत्र दिनांक 3–7–1996 से उनके हित में विकय कर दिया था और मौके पर कब्जा भी दे दिया था। विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण न होने का कारण बताया है कि विकय पत्र पर स्टाम्प डयूटी कम होने से उप पंजीयक ने पूर्ण शुल्क जमा कराकर विकय पत्र 2011 में दिया है। जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट कर दिया गया है कि वादग्रस्त भूमि के मूल भूमिस्वामी नत्थी पुत्र मंगली काछी ने विकयपत्र दिनांक 3–7–96 से भूमि आवेदकगण को विकय करके मौके पर कब्जा सौंप दिया एंव विकय धन ले लिया है, भूमि विकय में प्राप्त करने के वाद आवेदकगण का वाद विचारित भूमि पर भले ही नामान्तरण न हुआ हो, किन्तु अनावेदक के नामान्तरण की जानकारी न होने का उक्तानुसार कारण अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये विवरण अनुसार संतोषप्रद है । आवेदकगण के अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये आवेदन के तथ्य इसलिये भी शॅका से परे हैं क्योंकि भूमिविकय का तथ्य अनावेदक के

अभिज्ञान में होने के वाद भी उसने आवेदकगण को तहसील न्यायालय के दावे में पक्षकार नहीं बनाया है जिसके कारण तहसील न्यायालय से अनावेदक के हित में हुई नामान्तरण कार्यवाही एंव आदेश की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों की अनदेखी करके आवेदकगणों के हितों के विपरीत निर्णय लेकर अपील समयवाह्य मानकर निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने पर स्थिति यह है कि भूमि पर केतागण का स्टाम्प डयूटी कम देय होने से एंव उनके विहार मजदूरी करने चले जाने के कारण विकय पत्र 2011 में उन्हें प्राप्त हुआ है, किन्तु विकय धन अदा होने के वाद एंव कब्जा आवेदकगण को विकय दिनांक को मिल जाने के वाद (विकय पत्र में अंकित अनुसार) विकेता को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व एंव आधिपत्य नहीं रहे और जब विकीत भूमि पर विकेता के अधिकार शेष नहीं रहे – भले ही शासकीय अभिलेख में भूमि विकेता के नाम दर्ज रही हो – उसके मरने के उपरांत उसके वारिसान पर विकय पत्र बन्धनकारी होने से ऐसे नामांत्रिती को भी वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के स्वत्व एंव स्वामित्व प्राप्त नहीं होते हैं और ऐसी भूमि पर विकेता की मृत्यु उपरांत वारिसान का नामान्तरण हो जाने से ऐसा नामान्तरण आरंभ से ही शून्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, नॉगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 43/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–4–2016 एंव तहसीलदार नौगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 102अ–6/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 22–1–98 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव वादग्रस्त भूमि पर विकय पत्र के आधार पर आवेदकगण का नामांत्रण स्वीकार किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर